तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/12/23	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वकील अप्रार्थी सं. ① से ④ व ⑥ उप.। अप्रार्थी सं. ⑤, ⑦ की रिपोर्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट रेकर्ड पर लिया जाकर तामील/तलबी माना जाता है। ~~वास्ते जवाब इंतजार हेतु~~ Priyanka पत्रावली प्रा. पत्र धारा पर जवाब बहस सुनवाई [illegible] हेतु दिनांक 20/12/2023 को पेश हो। Priyanka
20/12/23	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " विवादित भूमि प्रार्थीगण के दादा की खातेदारी भूमि थी, दादा के देहांत पश्चात भूमि का एक हिस्सा प्रार्थीगण के पिता (अप्रार्थी सं. 01) की खातेदारी में दर्ज हुई। विवादित भूमि पैतृक है, अतः अप्रार्थी सं. 01 के 1/6 हिस्से के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखी जावे।"
	मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी - " विवादित भूमि अप्रार्थीगण सं. 01 ता 06 के दादा की खातेदारी में थी। प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 01 के साथ नहीं रहते, लड़ाई-झगड़ा करते हैं। प्रार्थीगण संयुक्त परिवार में नहीं रहते, अतः उनका पैतृक संपत्ति पर हक नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।
	आदेश
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212, काश्तकारी कानून का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है - " प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष केवल अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध चाहा गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कि वह अपने हक - हिस्से के 1/6 भाग के रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाए रखें।" आदेश पढ़कर खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो P-[illegible] उपखण्ड कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (F.T.), जोधपुर 20/12/24 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर [illegible] पत्रावली दिनांक 13/1/25 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट [illegible] जोधपुर	